

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.24()लेखा/अनु/निकाशि/11-12/ 730

दिनांक:- 15/8/12

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 1(बी.एड.) स्था./निकाशि/2012/ 269 दिनांक 12.07.2012 की पालना में सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा उदयपुर से कार्यमुक्त होकर राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा में उपस्थिति देने वाले राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (RVRES) के अन्तर्गत अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से राज्य सेवा में समायोजित कार्मिकों का माह जुलाई व अगस्त 2012 के वेतन आदि समेकित का भुगतान (उपस्थिति अनुसार) इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/2011-12/551/14.08.2012 एवं 653 दिनांक 21.09.2012 के अनुसार पूर्व की भाँती राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा से किये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है।



निदेशक


कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांक:-एफ.24()लेखा-ए/अनु/निकाशि/12-13/ 731-741

दिनांक:- 15/8/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक(प्रशासन/अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी(मुख्यालय) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर को आवश्यकता अनुसार बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने हेतु।
7. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा को भुगतान की कार्यवाही हेतु।
8. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा उदयपुर।।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी।
10. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा को वेंबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।



मुख्यलेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर